भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *231

उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026
18 फाल्गुन, 1947 (शक)

खिलाड़ियों के लिए यात्रा सुविधाएं

***231. डॉ. रानी श्रीकुमार:**
थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन में भाग लेने जा रहे ओडिशा के युवा पहलवानों का एक समूह उनके पास कन्फर्म रेल टिकट न होने के कारण रेलगाड़ी के सामान्य डिब्बों में यात्रा करने के लिए बाध्य हुआ और उन्हें शौचालय के पास बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा, यदि हां, तो ऐसी यात्रा व्यवस्था के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्यों या संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु सरकार की कोई नीति अथवा भारतीय रेलवे का कोई कोटा विद्यमान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे तंत्र के अभाव के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु यात्रा करने वाले खिलाड़ियों के लिए एक समर्पित यात्रा कोटा शुरू करने का है?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

“खिलाड़ियों के लिए यात्रा सुविधाएँ” के संबंध में लोक सभा के माननीय सदस्य डॉ. रानी श्रीकुमार और थिरु डॉ. एस. जगतरक्षकन द्वारा दिनांक 09.03.2026 के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *231 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) भारतीय कुश्ती परिसंघ (डब्ल्यूएफआई), जो कुश्ती के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) है, ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के लिए यात्रा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य कुश्ती संघों की है और उसे ओडिशा से किसी भी पहलवान समूह के लिए यात्रा व्यवस्था के संबंध में कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ है।

रेलवे बोर्ड ने भी पुष्टि की है कि संबंधित खिलाड़ियों के लिए टिकट कन्फर्म करने की व्यवस्था हेतु उत्तरी रेलवे में कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था।

(ख) से (घ) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एनएसएफ, भारतीय ओलंपिक संघ और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली खेल टीमों को, टीम के अंतिम निर्धारण का इंतजार किए बिना, ब्लॉक आरक्षण की सुविधा प्रदान करने हेतु रेल मंत्रालय के अनुदेश विद्यमान हैं।

राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाली खेल टीमें अपने औपचारिक अनुरोध उस निकटतम कोटा नियंत्रक प्राधिकरण को भेज सकती हैं, जहाँ उच्च सरकारी अनुरोध (एचओआर) धारकों की तत्काल मांग आवश्यकताओं के लिए चिन्हित सीटों के अप्रयुक्त कोटे से सीटें उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

*****